डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल—505/डब्ल्यू. पी.

रजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 जुलाई 1978—आषाढ़ 10, शके 1900.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1978.

क्र. 30829-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 16 जून 1978 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दि. मा. भागवण, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् १९७८.

मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, १९७८.

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.
२. परिभाषाएं.
३. वेतन का समय के भीतर तथा अप्राधिकृत कटौती किये बिना संदाय.
४. निरीक्षण आदि करने की शक्ति.
५. अध्यापकों आदि के वेतन के संदाय के लिये संस्थागत निधि का गठन तथा उसमें निक्षिप्त की जाने वाली रकमें.
६. पदों के सृजन तथा कर्मचारी वृन्द की नियुक्तियों एवं सेवाओं की समाप्ति का प्रतिषेध.
७. सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों का संरक्षण.
८. किसी संस्था को इस अधिनियम के उपबंध से छूट देने की शक्ति.
९. कतिपय राशियों का भू-राजस्व की बकायों की तौर पर वसूल किया जाना.
१०. नियम बनाने की शक्ति.
११. कठिनाई दूर करने की शक्ति.
१२. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के उपान्तरण

अनुसूची

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 20 सन् 1978

मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, १९७८

[दिनांक 16 जून, 1978 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 1 जुलाई, 1978 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले अशासकीय स्कूलों के तथा उच्च शिक्षा संबंधी उन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के, जो कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करती हैं, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतनों के संदाय का विनियमन करने तथा उससे आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम; विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, 1978 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

(4) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह धारा 2 के खण्ड (ङ) के अधीन आने वाली समस्त संस्थाओं को लागू होगा.

(5) कोई ऐसी संस्था, जिसको यह अधिनियम उपधारा (4) के अधीन लागू होता है, इस अधिनियम में उपबंधित की गई बातों के संबंध में, इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होगी भले ही किसी संविदा या दस्तावेज में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में कोई प्रतिकूल बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो.

परिभाषायें.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत तारीख" से अभिप्रेत है धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत की गई तारीख;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु से नियुक्त किया हो कि वह इसे अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करें;

(ग) "शिक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला शिक्षा अधिकारी या कोई अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस हैसियत में नियुक्त किया गया हो;

(घ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है संस्था का अध्यापक से भिन्न कोई ऐसा कर्मचारी जिसके कि नियोजन की बाबत अनुरक्षण अनुदान का संदाय यथास्थिति राज्य सरकार या आयोग द्वारा उस संस्था को किया जाता हो तथा संस्था के वेतन पत्रक में जिसका नाम उस हैसियत में नियोजित हुए रूप में किसी पद के सम्मुख दर्शाया गया हो किन्तु उसके (कर्मचारी के) अन्तर्गत कोई ऐसा कर्मचारी नहीं आता है जिसकी कि नियुक्ति धारा 6 के खण्ड (ग) के अधीन अनुमोदित की गई हो;

(ङ) "संस्था" से अभिप्रेत है ऐसा कोई अशासकीय स्कूल या उच्च शिक्षा संबंधी ऐसी कोई अशासकीय शिक्षण संस्था जिसे यथास्थिति राज्य सरकार से या मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान तत्समय प्राप्त होता हो और जिसकी स्थापना, प्रशासन तथा प्रबंध मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या

रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई किसी सोसायटी द्वारा किया जाता हो, किन्तु उसके (संस्था के) अन्तर्गत कोई ऐसी संस्था नहीं आती है जिसकी स्थापना, प्रशासन तथा प्रबंध।—

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा; या

(दो) राज्य सरकार द्वारा; या

(तीन) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, या

(चार) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित, नियंत्रित, अनुमोदित या प्रायोजित (स्पान्सर्ड) किसी ऐसे अभिकरण द्वारा, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; या

(पांच) मध्यप्रदेश लाज-बोर्डिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 20 सन् 1962) के अधीन बनाये गये तथा रजिस्ट्रीकृत किये गये या उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये समझे गये किसी अव्यापारिक निगम द्वारा,

किया जाता हो;

(च) "अनुरक्षण अनुदान" से अभिप्रेत है ऐसा अनुदान जो संस्था को अनुरक्षण के लिये यथास्थिति राज्य सरकार या आयोग द्वारा देय हो;

(छ) किसी संस्था के संबंध में "प्रबंधक वर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अर्थ के अन्तर्गत उस संस्था का शासी निकाय तथा अभिव्यक्ति "संस्था का प्रबंधक वर्ग" का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा;

(ज) "स्कूल" से अभिप्रेत है अशासकीय प्राथमिक, मिडिल या माध्यमिक स्कूल;

(झ) "अध्यापक" से अभिप्रेत है किसी संस्था का कोई ऐसा अध्यापक जिसके कि नियोजन की बाबत अनुरक्षण अनुदान का संदाय यथास्थिति राज्य सरकार या आयोग द्वारा उस संस्था को किया जाता हो और उसके (अध्यापक के) अंतर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक आता है, जिसे, उन शर्तों की, जो कि यथास्थिति मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा या किसी विश्वविद्यालय द्वारा या आयोग द्वारा किसी संस्था को या किसी नवीन विषय या किसी उच्चतर कक्षा को या विद्यमान कक्षा में के किसी नवीन वर्ग (सेक्शन) को मान्यता प्रदान किये जाने/संबद्ध किये जाने के संबंध में हो, पूर्ति करने के लिये उस प्राधिकारी के, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया हो, पूर्व अनुमोदन से, नियोजित किया गया हो तथा संस्था के वेतन पत्रक में जिसका नाम उस हैसियत में नियोजित हुये रूप में किसी पद के सम्मुख दर्शाया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अध्यापक नहीं आता है जिसकी कि नियुक्ति धारा 6 के खण्ड (ग) के अधीन अनुमोदित की गई हो;

(ञ) "वेतन" से अभिप्रेत है अनुरक्षण अनुदान के संदाय के प्रयोजन के लिये अनुमोदित की गई दर से किसी अध्यापक या कर्मचारी को तत्समय देय वेतन तथा महंगाई भत्ता;

(ट) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई है किन्तु परिभाषित नहीं की गई है और यथास्थिति मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973), मध्यप्रदेश अशासकीय स्कूल विनियमन अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) या मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्रमांक 21, सन् 1973) में परिभाषित की गई है, जैसा कि संदर्भ अपेक्षित करें, वही अर्थ होंगे जो कि उन्हें संबंधित उक्त अधिनियमों में दिये गये हैं.

3. (1) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, नियत दिन से किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का किसी मास या उसके भाग से संबंधित वेतन, धारा 5 की उपधारा (4) के परन्तुक के अध्यधीन रहते हुये, उसे उस मास के या उसके भाग के ठीक आगामी मास के बीसवें दिन का या ऐसे पूर्वतर दिन का, जिसे कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अवसान होने के पूर्व संदत्त किया जायेगा

वेतन का समय के भीतर तथा अप्राधिकृत कटौती किये बिना संदाय.

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात धारा 6 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी अध्यापक या किसी कर्मचारी को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उस नियुक्ति को अनुमोदित करते हुए कोई आदेश उसके अधीन पारित न कर दिया जाये.

(2) वेतन का संदाय इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत की गई कटौतियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कटौतियां किये बिना किया जायेगा.

निरीक्षण आदि करने की शक्ति.

4. शिक्षा अधिकारी किसी भी समय, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, किसी भी संस्था का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों को वेतन के संदाय के बारे में, या ऐसे आनुषंगिक विषयों की बाबत, जिन्हें कि वह उचित समझे, ऐसी जानकारी, विवरणियां तथा ऐसे अभिलेख (जिनके अंतर्गत रजिस्टर, लेखा पुस्तकें तथा वाउचर आते हैं), जिन्हें कि वह उचित समझे, उसके प्रबंधक वर्ग से मंगा सकेगा या उसके प्रबंधक वर्ग को वित्तीय औचित्य के ऐसे अभिनियमों के, जिन्हें कि वह उचित समझे, अनुपालन विषयक कोई निर्देश दे सकेगा.

अध्यापकों आदि के वेतन के संदाय के लिये संस्थागत निधि का गठन तथा उसमें निक्षिप्त की जाने वाली रकमें.

5. (1) किसी कोषालय या उप कोषालय में एक पृथक् लेखा-शीर्ष खोला जायेगा जिसके कि अधीन प्रत्येक संस्था के लिये एक पृथक् निधि (जो इसमें इसके पश्चात् संस्थागत निधि के नाम से निर्दिष्ट है) का उस संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के प्रयोजन के लिये गठन इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा.

(2) यथास्थिति राज्य सरकार या आयोग, उस अनुरक्षण अनुदान का, जो कि संस्था को यथा स्थिति राज्य सरकार या आयोग द्वारा देय हो, पचास प्रतिशत संस्थागत निधि में वर्ष के दौरान दो बार ऐसी तारीख तक जमा करेगा/करेगी जैसी कि वह समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

(3) प्रबंधक वर्ग प्रत्येक मास की 30 तारीख तक फीस की वह कुल रकम, जो कि उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई मानक दर से, संस्था के विद्यार्थियों से उस मास में वसूल की गई हो, उसमें से उसका इतना प्रतिशत, जितना कि विहित किया जाय, संस्था के अन्य व्ययों की पूर्ति करने के हेतु प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रतिधारित किया जाने के लिये निकाल कर, संस्थागत निधि में जमा करेगा.

(4) उपधारा (3) के अधीन निक्षिप्त की गई फीस के अतिरिक्त, प्रबंधकवर्ग, संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के पूर्ववर्ती मास के वेतन के संदाय हेतु इतनी और राशियां, जितनी कि उस रकम के, जो कि उपधारा (2) के अधीन जमा की गई कुल रकम तथा उपधारा (3) के अधीन जमा की गई रकम को मिला कर आती हो, एक-बारहवांश को उस रकम के, जो कि संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष देय होने वाले कुल वेतन तथा उन अध्यापकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था द्वारा प्रतिवर्ष किये जाने वाले अभिदाय को मिलाकर आती हो, एक-बारहवांश के समतुल्य बनाने के लिये अपेक्षित हों, प्रत्येक मास की 10 तारीख तक संस्थागत निधि में जमा करेगा :

परन्तु यदि संस्थागत निधि में जमा रकम, किसी मास में, देय कुल वेतन के एक-बारहवांश के समतुल्य रकम से कम इस कारण पड़ती हो कि इस उपधारा या उपधारा (3) के अधीन समुचित राशियां जमा नहीं की गई हैं, तो उस मास के लिये देय वेतन का संदाय उपलब्ध रकम की सीमा तक तथा उसके अनुपात में किया जा सकेगा तथा वेतन जितना कम संदत्त किया गया हो उतने की पूर्ति समुचित राशियों के जमा कर दिये जाने के पश्चात् रकम की भरपाई हो जाने पर ही की जायगी.

(5) कोई भी प्रबंधकवर्ग संस्था के विद्यार्थियों से फीस ऐसी दर से, जो कि फीस की उस मानक दर से, जिसे कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कम हो, न तो लेगा और न वसूल करेगा.

(6) संस्थागत निधि में जमा किया गया कोई भी धन निम्नलिखित प्रयोजनों को छोड़कर किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोजित नहीं किया जायगा, अर्थात् :—

(क) नियत तारीख के पश्चात् की किसी भी कालावधि के लिये शोध्य होने वाले वेतनों का संदाय;

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था द्वारा किया जाने वाला अभिदाय, यदि कोई हो, जमा करना.

(7) संस्थागत निधि प्रबंधकवर्ग के किसी प्रतिनिधि द्वारा तथा शिक्षा अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो कि शिक्षा अधिकारी द्वारा उस संबंध में प्राधिकृत किया जाय, संयुक्ततः प्रचालित की जायगी.

पदों के सृजन तथा कर्मचारी वृन्द की नियुक्तियों एवं सेवाओं की समाप्ति का प्रतिषेध.

6. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या उसके अधीनबनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) नियत तारीख को तथा से,—

(एक) किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के किसी पद का सृजन ऐसे वेतनमान में के सिवाय जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, तथा किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की भर्ती इस संबंध में विहित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नहीं की जायगी/नहीं किया जायगा;

(दो) अध्यापक तथा कर्मचारी ऐसी अर्हताओं तथा ऐसे अनुभव वाले होंगे जैसा कि विहित किया जाय; और

(तीन) कोई भी अध्यापक या अन्य कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना पदच्युत नहीं किया जायगा या सेवा से हटाया नहीं जायगा या उसकी सेवायें समाप्त नहीं की जायंगी :

परन्तु कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उसके पदच्युत किये जाने, उसके सेवा से हटाये जाने या उसकी सेवाएं समाप्त किये जाने के विरुद्ध अपील, उसे ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, किसी ऐसे अपील प्राधिकारी को कर सकेगा जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसा प्राधिकारी ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, विहित रीति में करने के पश्चात्, उक्त आदेश को या तो अपास्त कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा या उसे उपान्तरित कर सकेगा तथा अपील के निपटारे के लंबित रहने तक, अपील प्राधिकारी उस आदेश के परिवर्तन को ऐसे आधारों पर, जैसे कि वह उचित समझे, रोक भी सकेगा;

(चार) किसी भी अध्यापक या अन्य कर्मचारी को, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना, नब्बे दिन से अधिक दिन तक निलम्बित नहीं रखा जायेगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी अपना अनुमोदन ऐसी जांच करने के पश्चात् ही तथा ऐसे समय के भीतर देगा जैसा कि विहित किया जाय;

(ख) क्षम प्राधिकारी, किसी संस्था के किसी ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा, जिसे कि संस्था के प्रबंधकवर्ग ने 17 नवम्बर, 1977 को या उसके पश्चात् किसी भी समय, पदच्युत कर दिया हो या सेवा से हटा दिया हो, या जिसकी सेवाएं संस्था के प्रबंधकवर्ग ने 17 नवम्बर, 1977 को या उसके पश्चात् किसी भी समय समाप्त कर दी हो, आवेदन नियत तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाने पर, संस्था के प्रबंधकवर्ग को तथा उन व्यक्तियों को, जिन पर ऐसी पदच्युति, हटाये जाने या सेवा समाप्त किये जाने का प्रभाव पड़ा हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् यथास्थिति उस पदच्युति, हटाये जाने या सेवा समाप्ति को शून्य घोषित कर सकेगा तथा संस्था के प्रबंधकवर्ग को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे अध्यापक या कर्मचारी को सेवा में बहाल करे;

(ग) सक्षम प्राधिकारी अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की उन नियुक्तियों के, जो कि 17 नवम्बर, 1977 से प्रारंभ होने वाली तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान की गई हो, समस्त प्रकरणों का पुनर्विलोकन करेगा और, यदि वह संस्था के प्रबंधकवर्ग तथा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यह निष्कर्ष निकालता है कि वे नियुक्तियां इस अधिनियम की प्रत्याशा में की गई थी, तो वह ऐसी नियुक्तियों को लिखित आदेश द्वारा उसमें कथित किये जाने वाले कारणों से अननुमोदित कर सकेगा.

सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों का संरक्षण.

७. राज्य सरकार, शिक्षा अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश या दिये गये किसी निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भाव पूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

किसी संस्था को इस अधिनियम के ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के साथ जिन्हें कि अधिरोपित करना वह उचित समझे, किन्हीं संस्थाओं या संस्थाओं के किसी उपबंध से छूट देने की शक्ति.

८. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथ वर्ग को इस अधिनियम के समस्त उपबंधों या उनमें से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगी.

कतिपय राशियों का भू-राजस्व की बकाया की तौर पर वसूल किया जाना.

९. कोई भी ऐसी राशि, जिसका कि धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन किसी संस्था के प्रबंधकवर्ग द्वारा संस्थागत निधि में जमा किया जाना अपेक्षित है, उस दशा में जबकि वह उस कालावधि के, जो कि उन उपधाराओं में विनिर्दिष्ट है, भीतर उक्त निधि में जमा न की गई हो, ऐसी संस्था के प्रबंधकवर्ग से उसी रीति में वसूल की जायगी जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है

नियम बनाने की शक्ति.

१०. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिये या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन संस्थागत निधि का गठन ;

(ख) वसूल की गई फीस का वह प्रतिशत जो कि धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रतिधारित किया जायगा;

(ग) धारा ६ के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन की वह प्रक्रिया जिसका कि अनुसरण अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों को भर्ती करने में किया जायगा;

(घ) अध्यापकों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं तथा अनुभव जो धारा ६ के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन अपेक्षित हैं;

(ङ) धारा ६ के खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) के परन्तुक के अधीन जांच करने की रीति;

(च) वह रीति जिसमें धारा ६ के खण्ड (क) के उपखण्ड (चार) के परन्तुक के अधीन जांच की जायगी तथा वह समय जिसके भीतर ऐसी जांच उक्त परन्तुक के अधीन की जायगी.

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायंगे.

कठिनाई दूर करने की शक्ति.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो कि इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं दिया जावेगा.

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के उपान्तरण.

१२. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) उन संस्थाओं को, जिनको कि यह अधिनियम लागू होता है, लागू होने के संबंध में ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन होगा जो कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है.

अनुसूची

(धारा १२ देखिये)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ के उपान्तरण.

१. सातवां अध्याय--जांच तथा प्रतिष्ठान में, धारा ३२ के पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की गई नवीन धारा ३१-क का अन्तः स्थापन समझी जाय, अर्थात्:—

"३१. क. इस अध्याय में "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत होगा मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, १९७८ की धारा २ के खंड (ग) के अर्थ के अंतर्गत शिक्षा अधिकारी;".

२. धारा ३३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया गया समझा जायगा, अर्थात्:— धारा ३३ का संशोधन.

"(क) उन कर्त्तव्यों का, जो कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या सोसाइटी के विनियमों या उपविधियों के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के द्वारा या अधीन या ऐसे किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा, जो कि राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो, उस पर अधिरोपित किये गये हैं, पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करता है, या उनका पालन करने में उपेक्षा करता है या ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये रजामन्द नहीं है; या".

३. धारा ३७ की उपधारा (२) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया समझा जाय, अर्थात्:— धारा ३७ का संशोधन.

"परन्तु कोई भी न्यायालय धारा ३८ की उपधारा (१), जैसी कि वह मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, १९७८ की धारा १२ द्वारा प्रतिस्थापित की गई है, के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, किये गये परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं.".

४. धारा ३८ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की गई समझी जायगी, अर्थात्:— धारा ३८ का संशोधन.

"(१) यदि अध्यक्ष, सचिव या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो सोसाइटी के शासी निकाय के संकल्प द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो,—

(क) धारा २७ के उपबंधों का अनुपालन न करे; या

(ख) मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, १९७८ की धारा ४ के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा ३ या धारा ५ या धारा ६ के उपबंधों का पालन न करे,

तो वह, दोषसिद्धि पर,—

(एक) उस दशा में जबकि अपराध खण्ड (क) के अधीन आता है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके कि दौरान भंग चालू रहे, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(दो) उस दशा में जबकि अपराध खण्ड (ख) के अधीन आता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, तथा द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा. ".

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1978.

क्र. 30830-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 20 सन् 1978) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दि. मा. आगवण, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 1978.

THE MADHYA PRADESH ASHASKIYA SIKSHAN SANSTHA (ADHYAPAKON TATHA ANYA KARMCHARIYON KE VETANO KA SANDAYA) ADHINIYAM, 1978

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent, commencement and application.
2. Definitions.
3. Payment of salary within time and without unauthorised deduction.
4. Power to inspect, etc.
5. Constitution of Institutional fund for payment of salary of teachers, etc., and amounts to be deposited therein.
6. Prohibition on creation of posts and appointments of staff and termination of services.
7. Protection of acts in good faith.
8. Power to exempt any institution from provisions of the Act.
9. Recovery of certain sum as arrear of land revenue.
10. Power to make rules.
11. Power to remove difficulty.
12. Modifications in Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).

THE SCHEDULE

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 1978.

THE MADHYA PRADESH ASHASKIYA SIKSHAN SANSTHA (ADHYAPAKON TATHA ANYA KARMCHARIYON KE VETANO KA SANDAYA) ADHINIYAM, 1978

[Received the assent of the President on the 16th June, 1978; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), dated the 1st July, 1978.]

An Act to make provision for regulating payment of salaries to teachers and other employees of Non-Government Schools receiving grant-in-aid from the State Government and Non-Government Educational Institutions for Higher Education receiving grants from the Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog and other matters ancillary thereto.

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent, commencement and application.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ashaskiya Siksahn Sanstha (Adhyapakon Tatha Anya Karmachariyon Ke Vetano Ka Sandaya) Adhiniyam, 1978.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

(4) Save as otherwise provided in this Act, it shall apply to all institutions falling under clause (e) of section 2.

(5) An institution to which this Act applies under sub-section (4) shall, with respect to matters provided for in this Act be governed by the provisions of this Act notwithstanding anything to the contrary contained in any contract or document or in any other enactment for the time being in force.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointed date" means the date appointed by notification under sub-section (3) of section 1 ;

(b) "Competent Authority" means an authority appointed by the State Government, by notification, for discharging the functions for competent authority under this Act ;

(c) "Education Officer" means the District Education Officer or any other officer appointed by the State Government as such for the purposes of this Act ;

(d) "Employee" means an employee of the institution other than a teacher in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government or the Ayog, as the case may be, to the institution and shown on the pay roll of the institution against a post as being in the employment as such but does not include an employee whose appointment is disapproved under clause (c) of section 6 ;

(e) "Institution" means a non-Government School or non-Government Educational Institution for higher education for the time being receiving maintenance grant from the State Government or from the Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog, as the case may be, established, administered and managed by a society registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44

of 1973) but does not include an institution established, administered and managed by—

(i) the Central Government ; or

(ii) the State Government ; or

(iii) a local authority ; or

(iv) any agency managed, controlled, approved or sponsored by the Central Government or the State Government, as the State Government may, by notification, specify ;

(v) a non-trading corporation formed and registered under the Madhya Pradesh Non-Trading Corporation Act, 1962 (No. 20 of 1962) or deemed to have been registered thereunder ;

(f) "Maintenance grant" means grant payable to the Institution by the State Government or the Ayog, as the case may be, for maintenance ;

(g) "Management" in relation to any institution means the governing body thereof within the meaning of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), and the expression management of the institution shall be construed accordingly ;

(h) "School" means non-Government Primary, Middle or Secondary School ;

(i) "Teacher" means a teacher of an institution in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government or the Ayog, as the case may be, to the institutions and includes any other teacher employed, with the prior approval of the authority specified by the State Government in this behalf, in fulfilment of the conditions of recognition/affiliation of an institution or of a new subject or a higher class or a new section in the existing class by the Madhya Pradesh Board of Secondary Education or any University or the Ayog, as the case may be, and shown on the pay roll of the institution against a post as being in the employment as such but does not include a teacher whose appointment is disapproved under clause (c) of section 6 ;

(j) "Salary" means the pay and dearness allowance for the time being payable to a teacher or an employee at the rate approved for the purpose of payment of maintenance grant ;

(k) words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the Madhya Pradesh Ashaskiya School Viniyaman Adhiniyam, 1975 (No. 33 of 1975) or the Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog Adhiniyam, 1973 (No. 21 of 1973), as the case may be, shall, as the context requires, have the meanings assigned to them in the respective said Acts.

Payment of salary within time and without unauthorised deduction.

3. (1) As from the appointed date, notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of any institution in respect of any month or part thereof, subject to the proviso to sub-section (4) of section 5, shall be paid to him before the expiry of the 10th day or such earlier day of the month next following the month or part thereof, as may be specified by the State Government by a general or special order :

Provided tat nothing in this section shall apply to a teacher or an employee specified in clause (c) of section 6 till an order approving the appointment is passed thereunder.

(2) The salary shall be paid without deduction of any kind except those authorised by or under this Act or any other law for the time being in force.

Power to inspect, etc.

4. The Education Officer may at any time, for the purpose of this Act, inspect or cause to be inspected any institution or call for such information, returns and records (including registers, books of account and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or in respect of such ancillary matters or give to its management any direction for the observance of such canons of financial propriety, as he thinks fit.

Constitution of Institutional fund for payment of salary of teachers, e c., and amounts to be deposited therein.

5. (1) There shall be opened in a treasury or sub-treasury, a separate head of account under which shall be constituted a separate fund for each institution (hereinafter referred to as institutional fund) in accordance with the rules made in this behalf for the purpose of payment of salary of the teachers and employees of that institution.

(2) The State Government or the Ayog, as the case may be, shall twice during a year by such date as it may, from time to time, by notification specify, place to the credit of the institutional fund fifty percentum of the maintenance grant payable to the institution by the State Government or the Ayog, as the case may be.

(3) The management shall place to the credit of the institutional fund by the 30th of every month the total amount of fees recovered at standard rate specified under sub-section (5) from the students of the institution in that month less such percentage thereof as may be prescribed, for being retained by the management for meeting other expenditure of the institution.

(4) In addition to the fee deposited under sub-section (3), the management shall place to the credit of the institutional fund by 10th of every month for payment of salary to teachers and employees of the institution for the preceding month such further sums as may be required to make the 1/12 of the total amount credited under sub-section (2) together with amount credited under sub-section (3) equivalent to 1/12 of the total salary payable to teachers and employees of the institution with institutions contribution to the provided fund account of those teachers and employees per annum :

Provided that if in any month the amount at the credit of institutional fund falls short of the amount equivalent to 1/12 of the total salary payable per annum by reason of proper credits having not been made under this sub-section or sub-section (3), the salary payable for that month may be to the extent and in proportion to the amount available and the short payment of salary shall be made good only on recoupment of the amount after proper credits.

(5) No management shall charge and collect fees from the students of the institution at a rate lesser than the standard rate of fee as the State Government may, from time to time, by notification, specify.

(6) No money credited to the institutional fund shall be applied for any purpose except the following, namely :—

(a) payment of salaries falling due for any period after the appointed date ;

(b) credit of the institutions contribution, if any, to the provident fund accounts of the teachers and employees.

(7) The institutional fund shall be operated jointly by a representative of the management and by the Education Officer or such other officer as may be authorised by the Education Officer in that behalf.

Prohibition on creation of posts and appointments of staff and termination of services.

6. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any rules, regulations, byelaws, statutes or regulations made thereunder,—

(a) on and from the appointed date,—

(i) no post of a teacher or other employee shall be created except in such scale of pay as the State Government may, from time to time, determine and no teacher or other employee shall be recruited without following the procedure prescribed in this behalf;

(ii) the teachers or employees shall have such qualifications and experience as may be prescribed; and

(iii) no teacher or other employee shall be dismissed or removed from service or his services terminated without prior approval of the competent authority :

Provided that a teacher or other employee may prefer an appeal against his dismissal, removal or termination from service to an appellate authority as the State Government may, by notification, specify within thirty days from the date of receipt of the order by him and such authority may after holding such enquiry as it may deem fit in the manner prescribed, may either set aside or confirm or modify the said order and pending the disposal of appeal, the appellate authority may also stay the operation of order on such grounds, as it thinks fit;

(iv) no teacher or other employee shall be placed under suspension for more than ninety days without prior approval of the competent authority :

Provided that the competent authority shall give its approval only after holding such enquiry and within such time as may be prescribed;

(b) the competent authority may on an application made within thirty days from the appointed date by a teacher or an employee of an institution, who has been dismissed or removed from service or whose service has been terminated by the management of an institution at any time on or after the 17th November, 1977, after giving the management of the institution and the persons affected by such dismissal, removal or terminaton a reasonable opportunity of being heard and after conducting such enquiry as it may deem fit, declare the dismissal, removal or termination, as the case may be, to be void and direct the management of the institution to reinstate such teacher or employee in service;

(c) the competent authority shall review all the cases of appointment of teachers and other employees made during the period commencing from the 17th November, 1977 and ending on the date of commencement of this Act and, if it, after giving the management of the institution and the person concerned a reasonable opportunity of being heard, finds that the appointments were made in anticipation of this Act, it may by an order in writing for reasons to be stated therein disapprove such appointment.

7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Education Officer, the competent authority or any other person duly authorised by it in respect of anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given thereunder. Protection of act in good faith.

8. Notwithstanding anything contained in the Act, the State Government may, by general or a special order and subject to such conditions, if any, as it may deem fit to impose, exempt any institution or class of institutions from all or any of the provisions of this Act. Power to exempt any institution from provisions of the Act.

9. Any sum which is required to be credited by the management of any institution to the institutional fund under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 may if not credited to the said fund, within the period specified therein be recovered from the management of such institution in the same manner as an arrear of land revenue. Recovery of certain sum as arrear of land revenue.

10. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the constitution of institutional fund under sub-section (1) of section 5 ;

(b) the percentage of fees collected which shall be retained by the management under sub-section (3) of section 5 ;

(c) the procedure to be followed in recruitment of teachers or other employees under sub-clause (i) of clause (a) of section 6 ;

(d) the qualifications and experience which teachers and employees shall have under sub-clause (ii) of clause (a) of section 6 ;

(e) the manner of holding of enquiry under the proviso to sub-clause (iii) of clause (a) of section 6 ;

(f) the manner of holding enquiry and the time within which such enquiry shall be held under proviso to sub-clause (iv) of clause (a) of section 6.

(3) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty : Power to remove difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

12. In its application to the institutions to which this Act applies, the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), shall be subject to the modifications specified in the Schedule hereto annexed. Modifications in Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).

THE SCHEDULE

(*See* section 12)

MODIFICATIONS IN THE MADHYA PRADESH SOCIETY REGISTRIKARAN ADHINIYAM, 1973.

1. In "Chapter VII—Inquiry and supersession", before section 32, the following section shall be deemed to be inserted, namely :— Insertion of new section 31-A.

"31-A. In this Chapter "Registrar" shall mean Education Officer within the meaning of clause (c) of section 2 of

the Madhya Pradesh Ashaskiya Sikshan Sanstha (Adhyapakon Tatha Anya Karmchariyon Ke Vetano Ka Sandaya) Adhiniyam, 1978;"

Amendment of section 33.

2. For clause (a) of sub-section (1) of section 33, the following clause shall be deemed to be substituted, namely :—

"(a) Persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it by or under this Act, regulations or byelaws of the society or by or under any other enactment for the time being in force or by any lawful order passed by the State Government or Registrar, or is unwilling to perform such duties; or".

Amendment of section 37.

3. To sub-section (2) of section 37, following proviso shall be deemed to be added, namely :—

"Provided that no court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (1) of section 38, as substituted by section 12 of the Madhya Pradesh Ashaskiya Sikshan Sanstha (Adhyapakon Tatha Anya Karmchariyon Ke Vetano Ka Sandaya) Adhiniyam, 1978 except upon a complaint made by such officer as the State Government may, by notification, specify in this behalf."

Amendment of section 38.

4. For sub-section (1) of section 38, the following section shall be deemed to be substituted, namely :—

"(1) If the President, Secretary or any other person authorised in this behalf by a resolution of the governing body of the society—

(a) fails to comply with the provisions of section 27; or

(b) fails to comply with any direction given under section 4 or with the provisions of section 3 or section 5 or section 6 of the Madhya Pradesh Ashaskiya Sikshan Sanstha (Adhyapakon Tatha Karmchariyon Ke Vetano Ka Sandaya) Adhiniyam, 1978 he shall, on conviction be punishable—

(i) in the case of an offence falling under clause (a), with fine which may extend to five hundred rupees and in the case of a continuing breach with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first, during which the breach continues;

(ii) in the case of an offence falling under clause (b) with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and for the second and subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.".

मुद्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1978